राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2369/2025

मांगी लाल चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर मंडल, बीकानेर।
4. पी.ई.ई.ओ., राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलाना, जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.03.2025
आदेश की दिनांक : 02.04.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक
समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में लाइब्रेरियन ग्रेड–II, के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलाना जिला बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.12.2017 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीनादेसर, रतनगढ़ में की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.12.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा वर्ष 2023–24 की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में लाइब्रेरियन–II के पद पर पदोन्नत किया जाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलाना जिला बीकानेर में पदस्थापन किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 02.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.02.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडी ब्लॉक घड़साना जिला श्रीगंगानगर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के प्रतिबंध अवधि के दौरान अपीलार्थी को अधिशेष माना जाकर स्थानान्तरण कर दिया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 14.02.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का पदस्थापन गृह जिले में रिक्त पदों में से किसी भी स्थान पर किया जावें। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बीकानेर जिले में शालादर्पण के अनुसार रिक्त पदों की सूची

(अनुलग्नक–5) पर दर्शित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.02.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को लाइब्रेरियन ग्रेड–II, के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलाना जिला बीकानेर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)